न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अनवान 168/2007 सरकार बनाम पूर्णराम

पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 114 जाब्ता दीवानी सपठित आदेश 47 नियम 1 सीपीसी

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
17.02.2023	पत्रावली पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 114 जाब्ता दीवानी सपठित आदेश 47 नियम 1 सीपीसी पर आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी पूर्णराम आदि ने अपनी प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के आदेश दिनांक 21.07.2006 के विरूद्ध अपील पेश की गई थी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि प्रार्थीयान को आवंटन का पात्र मानकर तहसीलदार व पटवारी हल्का से वस्तुस्थिति की विस्तृत रिपोर्ट लेते हुए आरम्भ से ही वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण की कब्जा काश्त साधिकार मानते हुए आवंटित किया था। अदालत हाजा में अपीलाण्ट ने अपील प्रस्तुत करते हुए मात इतना ही कथन किया गया कि आवंटन पत्रावली को आवंटन कमेटी के समक्ष रखा जाना चाहिये था। अपील के अन्तर्गत कब्जा काश्त की निस्बत कोई एतराज नही किया गया था बल्कि इस तथ्य को स्वीकार किया गया था इसलिए जहां तक प्रार्थीगण के साधिकार कब्जा का प्रश्न है इस सम्बन्ध में कोई एतराज कभी नहीं किया गया। अदालत हाजा ने अपील का निर्णय दिनांक 24.05.2008 को करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायलाय को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया कि प्रकरण सलाहकार समितिके रखा जाकर निर्णय किया जावे। प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का साधिकार कब्जा काश्त है, लकिन तहसीलदार पीलीबंगा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त मानते हुए बेदखल करना चाहते हैं और स्वयं की रिपोर्ट के विपरीत जाकर प्रार्भिगण के विरूद्ध तावान की कार्यवाही कर बेदखल करने की कार्यवाही कर रहे है, जो कतई गलत एवं विधि विरूद्ध है। अतः इन परिस्थतियों में तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा के विरूद्ध यह आदेश पारित किया जावे कि प्रार्थीयान के कब्जा काश्त की उपरोक्त कृषि भूमि की निस्बत तावान की कार्यवाही व प्रार्भिगण के बेदखल करने से निषेध रहे। वकील अप्राथी/अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन	

Scanned with OKEN Scanner

कियाकि मूल अपील सं0 168/2007 का दिनांक 24.05.2008 को अंतिम निर्णय हो चुका है एवं निर्णय होने के उपरान्त प्रार्थी पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र का दायरा सिमित है। इसमें लिपिकिय त्रूटियां में ही संशोधन किया जा सकता है। प्रार्थना–पत्र यदि स्वीकार किया जाता है तो प्रकरण के गुणावगुण पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रार्थी को यदि कोई एतराज है तो वह या तो अधीनस्थ न्यायालय में अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करे अथवा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत करे। प्रार्थना–पत्र में वाछित अनुतोष अपील के निर्णय के गुणावगुण को प्रभावित करता है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मूल अपील 168/2007 अनवान सरकार बनाम पूर्णराम का दिनांक 24.05.2008 को निर्णय किया गया है जिसमें अपील को स्वीकार करते हुए पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रख कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करने का आदेश दिया गया है। प्रार्थी को इस आदेश सें किसी प्रकार की आपत्ति है तो वह माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत करने सकता है अथवा अधीनस्थ न्यायालय में अपने कथन कर सकता है। पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र में वांछित अनुतोष अपील के गुणावगुण को प्रभावित करत है। जब कि पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र के द्वारा केवल लिपिकिय त्रुटियां ही ठीक की जा सकती हैं। अतः प्रार्थी का पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 114 जाब्ता दीवानी सपठित आदेश 47 नियम 1 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रार्थना–पत्र निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

17.2.25